न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 09/2018 दायर दिनांक 10–05–2018

1. देवकरण सिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. रामसिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. मनकोरी पत्नी स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. विजेन्द्र पुत्र स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. सन्तरा पुत्री स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. बहादुर पुत्र स्व. श्योराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए उपधारा (1) रा0का0अधि0 1955 में अनुमति हेतु

वकील आवेदक– श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील अनावेदक– श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य

निर्णय

दिनांक 06.03.2020

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मीलो का बास पटवार बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 1.00 हैक्टर के खातेदारी काश्तकार प्रार्थीगण है। हमारी उक्त खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए वर्तमान में कोई प्रचलन का रास्ता अथवा कटान का रास्ता मौजूद नही है। हम हमारी उक्त खातेदारी काश्त की भूमि में काश्त हेतु पहुंचने के लिए नया रास्ता लेने हेतु अन्तर्गत धारा 251ए की उप धारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अनुमति मंजूर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र कर रहे है। आवेदकगण द्वारा अपनी खातेदारी की काश्त की भूमि वाके ग्राम मीलो का बास स्थित खसरा नम्बर 223 रकबा 1.00 हेक्टर मे आने–जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत अनावेदकगण की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम मीलो का बास स्थित खसरा नम्बर 209 रकबा 0.22 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 2.61 हैक्टर मे से चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण 1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य उपस्थित होकर अपना वकालत नामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया कि भूमि खसरा नम्बर 223 का आवेदक पक्ष की होना स्वीकार है। बाकी कथन जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने के कारण अस्वीकार है। आवेदक प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 209 एवं 218 स्थित ग्राम मीलो का बास तहसील नवलगढ के अन्दर से नाजायज रास्ता लेना चाहता है जो कि गलत है।

वकील अनावेदकगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया गया है कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की भावना के विरूद्ध आवेदक प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 209 व 2018 के अन्दर से रास्ता लेना चाहता है जो कानून सम्भव नही है क्योंकि ये लम्बा रास्ता है

उपखण्ड अधि. नवलगढ

Scanned by CamScanner

जबकि आवेदक की भूमि उतर–पूर्वी कोने से जोहड खसरा नम्बर 146 मे से होकर उतर में रास्ते तक की दूरी कम है जो कथन पटवार हल्का की रिपोर्ट से भी पुष्ट होता है। आवेदक महज अपनी जिद्दी के कारण ही प्रार्थी के खेत से रास्ता लेना चाहता है जो कानून सम्भव नही है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम मय हर्जे सहित खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात् तहसीलदार नवलगढ़ से वर्णित भूमि के संबंध में मोका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ की मोका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/18/214 दिनांक 23.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत कर वर्णित किया कि :–

1. आवेदकगण देवकरण सिंह, रामसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम मीलो का बास मे अपनी निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 1.00 हैक्टर में पुख्ता मकान व चाह मय विधुत पम्प सैट बनाकर आवास करते है।
2. आवेदकगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 223 में पहुँच के लिए खसरा नम्बर 209 व 218 रकबा क्रमशः 0.22 व 2.61 हैक्टर मे से नया रास्ता लेने हेतु आवेदन किया है। खसरा नम्बर 209 व 218 की खातेदारी मनकोरी देवी पत्नी स्व श्योराम बहादुर सिंह, नेमीचन्द सुरेश विजेन्द्र पुत्र श्योराम संतरा पुत्री श्योराम हि.ब. जाति जाट सा.देह के नाम से दर्ज रेकार्ड है।
3. खसरा नम्बर 209 में रास्ता की लम्बाई 80 मीटर तथा खसरा नम्बर 218 में रास्ते की लम्बाई 190 मीटर बनती है कुल लम्बाई 270 मीटर बनती है।
4. वर्णित भूमि के एक अन्य रास्ता जो खसरा नम्बर 205, 150 व 293/141 मे से जाता है जिसका खसरा नम्बर 320/205, 321/150 व 322/141 है जो कि खसरा नम्बर 146 रकबा 1.46 किस्म गै0मु0 तक कटान का है। मौके पर खसरा नम्बर 321/150 व 322/141 मे प्रचलन में नही है।
5. उक्त रास्ते खसरा नम्बर 146 रकबा 1.46 हैक्टर में लम्बाई 136 मीटर व खसरा नम्बर 148 में 24 मीटर बनती है। कुल लम्बाई 160 मीटर बनती है। खसरा नम्बर 148 रकबा 0.94 की खातेदारी सरदार सिंह, रामनिवास, ओमप्रकाश पिता सुरजाराम जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस में वकील आवेदक ने कथन किया कि खसरा नम्बर 223 का खातेदार है। खसरा नम्बर 209 के उतरी सीमा के कटानी रास्ता लगता है इनकी आपति है कि खसरा नम्बर 213 में कटानी रास्ता नही है। अतः ए से बी व बी से सी रास्ता दिलाये खसरा नम्बर 150 का रास्ता बंद है एव स्थनगन भी है।

वकील अनावेदक ने बहस के कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए मे कटानी रास्ता ही होना चाहिए। कटानी रास्ता प्रचलित न हो या बंद हो तो कोई फर्क नही पड़ता, कटानी रास्ता खुलवाना तहसीलदार की जिम्मेदारी है खसरा नम्बर 213 में रास्ता नही है। खसरा नम्बर 223 के चिपते खसरा नम्त्बर 146 जोहड़ की भूमि है, जोहड की भूमि तक रास्ता है, यही रास्ता सबसे छोटा है जिसको पटवारी रिपोर्ट में दर्शित है। प्रार्थना पत्र 251ए के प्रावधानों के विपरीत है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

वकील आवेदक ने पुनः कथन किया कि खसरा नम्बर 213 में कटानी रास्ता नही है लेकिन मोके पर चालू हैं

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है, की खसरा नम्बर 209 की लम्बाई 80 मीटर तथा खसरा नम्बर 218 मे रास्ते की लम्बाई 190 मीटर है कुल लम्बाई 270 मीटर दूरी तहसीलदार नलवगढ की रिपोर्ट अनुसार बनती है। तथा उक्त रास्ते उक्त रास्ते खसरा नम्बर 146 रकबा 1.46 हैक्टर में लम्बाई 136 मीटर व खसरा नम्बर 148 में 24 मीटर बनती है। कुल लम्बाई 160 मीटर बनती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। प्रार्थी निकटतम रास्ते की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

खातेदारों को पक्षकार बनाते हुये नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगें। साथ ही तहसीलदार नवलगढ़ को गै॰मु॰ रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 321/150 व खसरा नम्बर 322/141 से अतिक्रमण हटवाकर रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जार हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: